इकाई 5 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत*

संरचना

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति

5.3 नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन

5.4 नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन

5.5 नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाऐं

5.6 नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार : एक तुलना

5.7 सारांश

5.8 उपयोगी संदर्भ

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

यह इकाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यह इन सिद्धांतों की उत्पत्ति, विशेषताऐं तथा सीमाओं की जानकारी देती है जो कि हमारे संविधान में रेखांकित है। इस इकाई के पढ़ने के पश्चात् आप यह जान पायेंगे–

- राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति;
- राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण;
- नीति निर्देशक सिद्धांतों का संशोधन;
- नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों में तुलना; और
- नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाएं।

5.1 प्रस्तावना

आपने इकाई संख्या 4 में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा है। जो कि न्यायोचित है। आप इस इकाई में गैर न्यायोचित अधिकारों अर्थात् नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढेंगे। जैसा कि आप इकाई में पढ़ेंगे, न्यायोचित एवं गैर–न्यायोचित अधिकारों में अंतर है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा बहाल किये जाते हैं यदि उनका उल्लंघन हुआ हो तो जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा बहाल नहीं किया जा सकता है यदि राज्य उन्हें लागू न करे तो। मूल अधिकार उदारवादी लोकतंत्र पर आधारित है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सिद्धांतों पर आधारित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एंव आर्थिक विकास प्राप्त करना है, सभी वर्गों के लिए ताकि एक समतापूर्वक समाज की स्थापना हो सके। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधानिक लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक है तथा सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करने में सहायक है।

*डा. दिव्या रानी, अकादमिक ऐसोसियेट, राजनीति विज्ञान, इग्नू, नई दिल्ली

5.2 राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति

आपने इकाई संख्या 4 में पढ़ा हो कि मूल अधिकारों को संविधान में संविधान सभा की अधिकारों की उप–समिति के सुझावों के बाद शामिल किया गया था। इस उप–समिति ने मूल अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी सुझाव दिया था। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई थी कि अधिकारों को दो भागों में बाँटा जाए मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को दिशा निर्देश देते हैं कि वह विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियों शुरू करे। ग्रेनविल के अनुसार, नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में चार लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बी. एन. राव, ए. के. अय्यर, बी. आर. अम्बेडकर तथा के. टी. साह। इनमें से बी. एन. राव सबसे अधिक प्रभावशाली थे।

नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी और 1920 में भारत में सामाजिक एवं राष्ट्रीय विचारों के प्रादुर्भाव के कारण हुई थी। जैसा कि आपने इकाई 5 में पढ़ा होगा कि सप्रू समिति ने अधिकारों को दो भागों में बाँटने का सुझाव दिया था एक न्यायोचित तथा दूसरा गैर–न्यायोचित। यहाँ तक कि अधिकारों की उप–समिति ने भी इन सुझावों को सहमति दी थी। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा के समय, समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रावधानों को शामिल करने में राज्य की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान था। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में उन्होंने संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों के ध्यान को आकर्षित किया था। हिन्दुवादी दृष्टिकोण एवं गाँधीवादी विचार भी इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने को प्रभावित किया था। ये प्रावधान लोगों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिये महत्वपूर्ण थे। काफी गंभीर चर्चा के बाद संविधान सभा ने इन्हें संविधान के भाग चार में शामिल कर लिया था। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची नीचे दी गयी है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग– 4

अनुच्छेद सं.	विषय
36	राज्य की परिभाषा
37	इस भाग में शामिल सिद्धांतों को लागू करना
38	राज्य लोगों की भलाई के लिए सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था करे
39	राज्य द्वारा कुछ नीति–सिद्धांतों को अपनाना
39 ए	समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता
40	ग्राम पंचायतो को संगठित करना
41	कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा कुछ मामलों में लोक सहायता
42	काम करने के लिए मानवीय स्थिति का प्रावधान तथा मातृत्व राहत का प्रावधान
43	जीवनयापन के लिए मजदूरों को मजदूरी देना
43ए	उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागेदारी

43 बी	सहयोगी समाज को प्रोन्नत करना
44	सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
45	बाल देखभाल को प्रोन्नत करना तथा छः वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करना।
46	कमजोर वर्गों, अनुसूचित–जातियों तथा जन जातियों के हितों की रक्षा करना
47	राज्य का यह दायित्व है कि वह लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करे तथा जीवन यापन पोषण के स्तर में सुधार करे।
48	पशुपालन एवं कृषि को संगठित करना
48 ए	पर्यावरण की रक्षा करना एवं जंगली जीवन एवं वनों की सुरक्षा करना
49	राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना
50	न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना।

दुर्गादास बसु ने इन सिद्धांतों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। प्रथम, कुछ ऐसे आदर्श जिन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया कि इन्हें हासिल किया जा सकता है। ये आदर्श मुख्य रूप में आर्थिक थे। दूसरा, कुछ निर्देश विधायिका एवं कार्यपालिका के लिये ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग ठीक से कर सके। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों के लिए अर्थात् ये मूल अधिकारों से अलग है जिन्हें न्यायालय भी लागू नहीं कर सकता है। लेकिन इन्हें राज्य द्वारा विधायी एवं प्रशासनिक नीतियों से लागू किया जा सकता है।

भाग 4 में दिये गये अनुच्छेदों के अलावा संविधान में कुछ अन्य अनुच्छेद है जो कि राज्य के लिए नीतियां बनाने को अधिकृत है। ये अनुच्छेद 335, 350 ए, तथा 351 हैं। अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को उचित कार्य करने चाहिये। राज्य के मामलों में सेवाओं से संबंधित नियुक्तियों भी करनी चाहिए। अनुच्छेद 350 ए यह सुझाव देता है कि सभी स्थानीय प्रशासन अपनी मातृभाषा को बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य बनाये विशेषकर जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चे है उनके लिये। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ हिंदी भाषा के विस्तार को प्रोन्नती देगा ताकि यह सभी के लिये एक माध्यम बन सके और भारत की संस्कृति को बनाये रख सके।

5.3 नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन

नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नये प्रतिमान जोड़े गये हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। इन संशोधनों के माध्यम से इन सिद्धांतों को और अधिक समाज कल्याण की नीतियों को शामिल करने में सहायता मिली है। 42 वें संशोधन 1976 के तहत् चार नये विषय जोड़े गये है ताकि राज्य बच्चों के स्वास्थ्य में विकास कर सके (अनुच्छेद 39), गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करा सके ताकि समान न्याय मिल सके (अनुच्छेद 39ए) उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी (अनुच्छेद 43ए) तथा पर्यावरण की रक्षा, वनों एवं जंगली जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 48 ए). 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 38 को जोड़ा

गया जिसमें राज्य को आय की असमानता को कम करना पद तथा सुविधाओं एवं अवसरों को बढ़ाने का कार्य करना शामिल था। 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 के विषय में भी संशोधन किया गया जिसमें राज्य को सभी बच्चों की देखभाल करना तथा छः वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना था शिक्षा मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया। 2011 में 97 वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया जिसमें राज्य को संघों के निर्माण, स्वायत्त संस्थाओं के कार्य, तथा व्यावसायिक प्रबंध संस्थानों के नियंत्रण को बढ़ाने की बात कही गयी।

अभ्यास प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) अधिकारों की उप–समिति क्या थी?

.....

.....

.....

.....

.....

2) नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

5.4 नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया है तथा कई प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम भी लागू किये है एवं कई प्रकार के आयोगों का भी गठन किया गया है। योजना आयोग (जिसे अब नीति आयोग) बनाया गया जो अपने पंच–वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक न्याय एवं समानता लाने का प्रयास करती रही है। कई राज्यों में भूमि सुधार लागू किया जिससे जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, कास्तकारी व्यवस्था में सुधार किया गया, भूमि पर कब्जे को समाप्त किया गया, सामूहिक खेती जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत हुई जिसने ग्रामीण समाज में कृषि असमानता को दूर किया। सरकार ने वंचितों तबकों के लिये कई प्रकार के कदम उठाये इनमें गरीबों के हितों की रक्षा करना भी शामिल था, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना, ठेके पर मजदूरों की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, बाल शोषण को समाप्त करना, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, तथा औद्योगिक विवादों का निपटारा करना इत्यादि शामिल थे। महिलाओं की सहायता भी इन कदमों में शामिल थे, मातृत्व लाभ प्रदान करना, समान मजदूरी तथा महिलाओं के हितों की रक्षा करना इत्यादि। सरकार ने वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए केन्द्र और

राज्य प्रदूषण बोर्ड की भी स्थापना की। सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल का भी गठन किया तथा सूती उद्योग के विकास के लिए हैन्डलूम एवं हतकरघा बोर्ड का भी गठन किया। सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों एवं प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए भी कानून बनाये तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थालों का भी संरक्षण किया गया। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इन्हें सरकारी नौकरियों, राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गयी ताकि इन्हें सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके तथा इन वर्गों के अधिकारों के लिए कई प्रकार के कानून बनाये गये ताकि सामाजिक उत्पीड़न को रोका जा सके। ग्राम पंचायतों के गठन तथा इनमें इन वर्गों को आरक्षण देकर उनकों सशक्तिकरण किया गया। कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी जिसने लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक समावेश में महत्पवूर्ण भूमिका अदा की।

5.5 नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाऐं

सबसे प्रमुख सीमा इन सिद्धांतों की यह है कि राज्य उन्हें कानूनी तौर पर लागू करने को बाध्य नहीं है। इसके वाबजूद कि राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इन्हें लागू करे क्योंकि इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं होने की वजह से राज्य पर ज्यादा दवाब नहीं होता कि वंचित वर्गों के लिए कार्य करे तथा हमेशा विशिष्ट वर्गों के दवाब में कार्य करता है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाओं को रेखांकित किया था। खासकर उनकी गैर न्यायोचित प्रकृति को लेकर। के. टी. साह ने टिप्पणी की कि ये सीमाऐं नीति निर्देशक सिद्धांतों को ''पवित्र इच्छाऐं'' बनाऐंगी। टी. टी. कृष्णामचारी ने इन्हें ''भावनाओं का सच्चा कचरापात्र'' कहकर संबोधित किया। के. संतानम संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि ये सिद्धांत केन्द्र एवं राज्यों के बीच विवाद पैदा कर सकते है, तथा ये प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच दिशा निर्देश, अध्यादेश सहमति, एवं अन्य समस्याओं के संबंध में विवाद पैदा कर सकते हैं।

5.6 नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार : एक तुलना

मूल अधिकारों को इकाई संख्या 4 में अध्ययन करने एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों को इस इकाई में अध्ययन करने के बाद यह काफी दिलचस्प होगा इन दोनों के बीच तुलना करना। दोनों के बीच समानता एवं असमानताऐं है। इन दोनों का समान लक्ष्य है, अधिकारों की रक्षा करना, जन कल्याण या सामाजिक क्रांति। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन दोनों को ''संविधान की अंतर्रात्मा'' कहा था। ये दोनों समान परिस्थितियों में उभर कर समाने आये थे। दोनों की जड़ स्वतंत्रता संघर्ष में समाहित है। दोनों की उत्पत्ति का समय एवं परिस्थितियां भी एक सी ही है। 1920 से समाजवाद के विचार काफी लोकप्रिय हुए थे और काँग्रेस ने भी भारतीयों को अधिकार देने की माँग को जोर–शोर से उठाया। इसके बाद संविधान सभा में अधिकारों की उप–समिति का गठन किया गया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इस उप–समिति ने ही इन दोनों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। वास्तव में संविधान सभा में मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर बहुत कम असहमति थी। मतभेद केवल तकनीकी तौर पर था। फिर भी, दोनों के बीच समान के साथ–साथ असमानताऐं भी मौजूद है। मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। अर्थात मूल अधिकार राज्य को अपने अधीन इन अधिकारों पर

अतिक्रमण करने से मना करता है। इसका यह भी अर्थ है कि निर्देशक सिद्धांत राज्य से लोगों के लिए कुछ लाभ लेने या प्रदान करने की बात करता है। मूल अधिकार न्यायसंगत है जबकि निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत है। लेकिन ऑस्टिन यह तर्क देते है कि चाहे निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत हो फिर भी देश की शासन व्यवस्था का मूल तत्व है। मूल अधिकार व्यक्तियों के कल्याण एवं उनके व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं जबकि निर्देशक सिद्धांतों का संबंध संपूर्ण समुदाय के कल्याण के बारे में है। मूल अधिकारों को किसी भी कानून की जरूरत नहीं है उनके लागू होने के लिये लेकिन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है।

मूल अधिकारों की न्यायोचितता एवं उनका लागू किया जाना उनको प्राथमिकता देता है और मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद में मूल अधिकारों का पलड़ा भारी होता है। फिर भी नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना भी राज्य की नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। इसमें इनके लिए कानूनी एवं राजनीतिक, दोनों असमंजय की स्थिति पैदा कर दी हैं। मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों से सर्वोच्च है ऐसे विवाद को 1951 में चम्पकम दोराईराजन के केस में देखने को मिला। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि यदि इन दोनों के बीच विवाद हो तो मूल अधिकारों को तरजीह दी जायेगी। बाद में 1967 के गोलकनाथ केस एवं 1973 के केशवानंद भारती केस ने भी इनकी स्थिति को और मजबूत बना दिया। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में केशवानंद भारती केस में मूल अधिकारों को संशोधित भी नहीं किया जा सकता । मूल अधिकार निर्देशक सिद्धांतों से सर्वोच्च है इसका समाधान 1980 में मिनरवा मिल केस में हो गया था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण नजरिया सामने आया खासकर इन दोनों के बीच संबंधों का। कोर्ट ने यह माना कि भारतीय संविधान का मूल आधार इनके बीच संतुलन बैठाना है। इन दोनों की प्रतिबध्यता सामाजिक क्रांति की तरफ है। ये दोनों एक रथ के दो पहियों की तरह है जो कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि इनमें से किसी एक को ज्यादा प्राथमिकता दी तो इससे संविधान की सद्भावना को ठेस पहुँचेगी। सद्भावना एवं संतुलन दोनों संविधान की प्रमुख विशेषताऐं एवं प्रमुख आधार भी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य को बिना मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करके भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों की जाँच इस इकाई के अन्त में दिए गए आदर्श उत्तरों से करें।

1) मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच तुलना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाऐं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

5.7 सारांश

नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान राज्यों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियां बनाने के लिये किया गया है ताकि लोगों को सशक्त बनाया जा सके। इनका मूल उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। ये मूल अधिकारों से अलग है क्योंकि ये गैर–न्यायसंगत है जबकि मूल अधिकार न्यायसंगत है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कराची प्रस्ताव के बाद सामने आया था जिसमें 1920 से समाजवाद और राष्ट्रवाद के आदर्शों की भी बड़ी भूमिका थी। आयरलैण्ड के संविधान हिंदू आदर्श तथा गाँधीवादी दर्शन भी इन सिद्धांतों पर प्रभावित किये थे। सप्रू समिति ने इन दोनों के बीच अंतर करने का सुझाव दिया था। न्यायसंगत तथा गैर–न्यायसंगत अधिकारों की उपसमिति ने भी इन दोनों के बीच अंतर बताया था। संविधान सभा ने अधिकारों की उप–समिति के सुझावों को मंजूर करके तथा उन पर बहस करके नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल कर लिया था। इन्हें संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। 42वें, 43वें, 86वें, और 97वें संशोधन के बाद इनके क्षेत्र की और अधिक विस्तृत किया गया है। यदि हम नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायोचित की अवधारणा के साथ बाहर रख दे ंतो ये सामाजिक कल्याण के लिये अच्छा नहीं होगा।

5.8 उपयोगी संदर्भ

ग्रेनविल, आस्टिन (1966), भारतीय संविधान, राष्ट्र की आधारशिला, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

बसु, डी. डी. (1960), भारतीय संविधान का परिचय, कलकत्ता, एस.सी. सरकार एण्ड संस प्राइवेट लिमिटेड।

चौबे, सिवानी किंकर (1960), भारतीय संविधान का निर्माण और कार्यप्रणाली, नई दिल्ली, एन.बी.टी.

लक्ष्मीकांत, एम (2004), भारतीय राजनीति, नई दिल्ली, मैक्ग्रा हिल, एडूकेशन।

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) अधिकारों की उप–समिति संविधान सभा की एक उप–समिति थी जिसने मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अपने सुझाव दिये थे। इसके सुझावों के ऊपर ही मूल अधिकारों को न्यायोचित तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर–न्यायोचित बनाया गया था।

2) नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का श्रेय 1931 के कराची प्रस्ताव को जाता है जिसने 1920 के वातावरण के बाद के समाजवादी आदर्शों एवं सिद्धांतों को अपनाया था। इसके बाद इस सिद्धांतो को अपनाया गया था। सप्रू समिति ने इन दोनों के बीच अंतर किया था। मूल अधिकार न्यायसंगत तथा निर्देशक सिद्धांत गैर–न्यायसंगत होना। इन सुझावों को अधिकारों की उप–समिति ने भी माना। इनको अंत में स्वीकार कर लिया गया तथा भाग चार में शामिल कर लिया गया।

अभ्यास प्रश्न 2

1) मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में समानताऐं एवं असमानताऐं भी है। समानताऐं इन दोनों का लक्ष्य एक होना है जैसे कि अधिकारों की रक्षा करना, जन कल्याण, सामाजिक, क्रांति इत्यादि। 1920 के बाद समाजवाद के सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुए थे, जिसे संविधान सभी की उप–समिति ने भी सिफारिश की थी। इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है न्यायोचित एवं गैर–न्यायोचित। मूल अधिकार न्यायोचित है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर–न्यायोचित है।

2) नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य पर कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, हालांकि इनको लागू करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य के ऊपर जनता का दवाब रहता है कि इन्हें लागू करे या न करे। के. टी. साह के अनुसार ये सिद्धांत 'पवित्र इच्छाऐं है जबकि टी. टी. कृष्णामचारी ने इन्हें ''लोगों की भावनाओं का कचरापात्र'' बताया था।